



दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2014/अग्रहायण 17, 1936 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 156
No. 159] DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2014/AGRAHAYANA 17, 1936 [N.C.T.D. No. 156

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

एवं

मुख्य पंजीकार (जन्म व मृत्यु)

अधिसूचना

दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2014

सं. एफ.13(1)/जी.शा./अ.स.नि./2006/9742-78.—जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) की धारा 30 की उप-धारा (1) के साथ धारा 2 की उप-धारा (1) के प्रावधान (च) द्वारा प्रदत्त भावितयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 में संभोधन करते हुए निम्न नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.— (1) ये नियम दिल्ली जन्म व मृत्यु पंजीकरण (संभोधन) नियम, 2014 कहलायेंगे ।
(2) नियम 5(1) में संभोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होगा ।
(3) नियम 10(1) में संभोधन 01 जनवरी 2015 से लागू होगा ।
- नियम 5 के अन्तर्गत प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 में संशोधन.—प्रपत्र-1 (जन्म प्रतिवेदन), प्रपत्र-2 (मृत्यु प्रतिवेदन) एवं प्रपत्र-3 (मृत्यु प्रतिवेदन) में दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 (इसके पश्चात् 'मुख्य नियमावली' के रूप में संदर्भित) के नियम 5 के अन्तर्गत सन्दर्भित प्रपत्र संख्या-1, प्रपत्र संख्या-2 एवं प्रपत्र संख्या-3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

प्रपत्र सं. 1 जन्म प्रतिवेदन
विधिक सूचनाएं

राह भाग जन्म प्रतिवेदन के साथ जोड़ा जाता है

- जन्म तिथि : (वक्ष्या ऐसा होने का सही दिन, माह एवं वर्ष लिखें जो से 1-1-2000)
- लिंग : लिंग : प्रुत्तिंग या स्त्रीतिंग लिखें, संक्षिप्त में नहीं।

- बच्चे का नाम (यदि कोई हो): (यदि न हो तो याती छाड़े)
- पिता का नाम: (पूर्ण जैसे सामान्यतः लिखा जाता है)

- माता का नाम: (पूर्ण जैसे सामान्यतः लिखा जाता है)

- पिता का यूआईडी संख्या (यदि कोई हो)

- माता का यूआईडी संख्या (यदि कोई हो)

- बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता :

- स्थाई पता :

- जन्म का स्थान : जिन्म 1, 2 व 3 में से एक पर सही का विशान लगाये तथा 8. अस्पताल/संसान का नाम/मकान एवं जहाँ जन्म हुआ हो उसका पता)

1. अस्पताल/संसान नाम :
2. पर्याप्त :
3. अन्य स्थान :

- पिता का व्यवसाय :

- माता का व्यवसाय :

- पता :

(जब स्थान 1 से 22 तक पूरे भर पाए तब सूचना देने वाला यहाँ
हस्ताक्षर व तारीख भरेगा)

दिनांक : दूसरा देने वाले के हस्ताक्षर या शाए हाथ के अंदरूने का विशान

जन्म प्रतिवेदन
सांख्यिकी सूचनाएं

इसे अलग करके सांख्यिकी प्रसंकरण के लिए भेजा जाएगा

सूचनावाला हीरा भरा जाएगा

प्रपत्र सं. 1	जन्म प्रतिवेदन	सांख्यिकी सूचनाएं
		इसे अलग करके सांख्यिकी प्रसंकरण के लिए भेजा जाएगा
1.	जन्म तिथि : (वक्ष्या ऐसा होने का सही दिन, माह एवं वर्ष लिखें जो से 1-1-2000)	सूचनावाला हीरा भरा जाएगा
2.	लिंग :	प्रतिवेदन करने करने के साथ सांख्यिकी प्रसंकरण के लिए भेजा जाएगा
3.	बच्चे का नाम (यदि कोई हो):	माता की आयु (पूर्ण वर्षों में) विवाह के समय :
4.	पिता का नाम: (पूर्ण जैसे सामान्यतः लिखा जाता है)	माता की आयु (पूर्ण वर्षों में) इस जन्म के समय :
5.	माता का नाम: (पूर्ण जैसे सामान्यतः लिखा जाता है)	इस बच्चे महिला माता के जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या : जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या ऐसी है जो पहले विवाह (यदि कोई हो) के बच्चों की संख्या भी समिक्षित करें।
6.	बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता :	बच्चे के जन्म के समय सहायक: (जिन्म में से किसी एक पर सही का विशान लायें)
7.	स्थाई पता :	1. माता की आयु (पूर्ण वर्षों में) इस जन्म के समय :
8.	जन्म का स्थान : जिन्म 1, 2 व 3 में से एक पर सही का विशान लगाये तथा 8. अस्पताल/संसान का नाम/मकान एवं जहाँ जन्म हुआ हो उसका पता)	1. शहर 2. ग्राम
9.	पूर्वानादाता का नाम :	ग. जिसे का नाम :
	पता :	घ. जाय का नाम :
		पिता का नाम :
		परिवार का धर्म (जिन्म में से किसी एक पर सही का विशान लायें)
10.	माता के विवास का शहर या गांव: (स्थान, जहाँ माता प्रवास करती है। यह उस स्थान से जिन्म हो सकता है, जहाँ जन्म हुआ है। पर का पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है):	1. शहर 2. ग्राम
11.	च. क्या शहर है अथवा ग्राम है (सही का विशान लायें)	ग. जिसे का नाम :
12.	दिनांक (मिलन के दिन लिखें जैसे 6 उत्तीर्ण की हो तो केवल कक्षा 6 ही लिखें।) लेकिन केवल कक्षा 6 उत्तीर्ण की हो तो केवल कक्षा 6 ही लिखें।	पिता की शिक्षा का स्तर :
13.	माता की शिक्षा का स्तर :	माता की शिक्षा का स्तर :
14.	पिता का व्यवसाय :	पिता का व्यवसाय :
15.	माता का व्यवसाय :	माता का व्यवसाय :
16.	परिवार का धर्म (जिन्म में से किसी एक पर सही का विशान लायें)	परिवार का धर्म (जिन्म में से किसी एक पर सही का विशान लायें)
17.	माता की आयु (पूर्ण वर्षों में) इस जन्म के समय :	1. राजस्थान – सरकारी 2. सरकारी निजी या ऐसे सरकारी 3. डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित सहायक 4. जन्म के समय परमरणात सहायक 5. रिशेदर या अन्य
18.	इस बच्चे महिला माता के जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या : जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या ऐसी है जो पहले विवाह (यदि कोई हो) के बच्चों की संख्या भी समिक्षित करें।	1. राजस्थान – सरकारी 2. सरकारी निजी या प्रशिक्षित सहायक 3. डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित सहायक 4. जन्म के समय परमरणात सहायक 5. रिशेदर या अन्य
19.	बच्चे के जन्म के समय सहायक: (जिन्म में से किसी एक पर सही का विशान लायें)	जन्म का तरीका (जिन्म में से किसी एक पर सही का विशान लायें)
20.	जन्म के तरीका (जिन्म में से किसी एक पर सही का विशान लायें)	1. प्राकृतिक 2. अंतर्रसन द्वारा 3. फॉरेस्ट या वैज्ञानिक
21.	जन्म के समय दर्जन (किंवद्दन) (यदि उपलब्ध हो)	जन्म के समय दर्जन (किंवद्दन) (यदि उपलब्ध हो)
22.	गमधारण की अवधि: (संख्या में)	गमधारण की अवधि: (संख्या में)
		(सभी कालम भरने के बाद वासी और हस्ताक्षर करें)
		पंजीकरण संख्या पंजीकरण तिथि पंजीकरण यूनिट जिला शहर/गांव तहसील पंजीकरण यूनिट
		नाम कांड संख्या जिला तिथि जन्म स्थान 1. अस्पताल/संसान 2. घर 3. अन्य स्थान
		पंजीकरण संख्या पंजीकरण तिथि पंजीकरण यूनिट जिला तिथि जन्म स्थान 1. अस्पताल/संसान 2. घर 3. अन्य स्थान
		पंजीकरण संख्या पंजीकरण तिथि पंजीकरण यूनिट जिला तिथि जन्म स्थान 1. अस्पताल/संसान 2. घर 3. अन्य स्थान

3. नियम 10 के अन्तर्गत संभोधन—मुख्य नियमावली में नियम 10 के उप-नियम (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“10 रजिस्टर में नाम भासिल करने हेतु अवधि—(1) जहाँ किसी बालक का जन्म किसी नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया है वहाँ ऐसे बालक के माता-पिता या संरक्षक बालक के नाम के सम्बन्ध में इत्तला मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को बालक के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बारह मास के भीतर देगा।

परन्तु यदि ऐसी कोई सूचना बारह मास की अवधि के पभचात लेकिन बीस वर्ष की अवधि के भीतर दी जाती है तो उसकी गणना निम्न रूप में की जायेगी :—

(i) ऐसे मामले जहाँ रजिस्ट्रीकरण, दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 के लागू होने की तारीख से पूर्व किया गया है तो 1 जनवरी, 2015 से अग्रिम पाँच वर्ष की अवधि मान्य होगी। ऐसे मामले जहाँ रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि अभी तक पूर्ण नहीं हुई है उन्हें 15 वर्ष की अवधि तक सुविधा दी जा सकेगी अथवा

(ii) ऐसे मामले जहाँ रजिस्ट्रीकरण, दिल्ली जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम (संभोधित), 2014 के लागू होने के बाद किया गया है ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष की अवधि तक, धारा 23 की उप-धारा 4 के उपबंधों के अधीन, तो रजिस्ट्रार :

(क) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में है तो पाँच रूपये की विलम्ब शुल्क फीस दिये जाने पर सम्बन्धित फार्म के सुसंगत खाने में जन्म रजिस्टर में नाम दर्ज करेगा।

(ख) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में नहीं है और यदि इत्तला मौखिक रूप में दी गयी है तो आवभयक विभाष्याँ देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और यदि इत्तला लिखित रूप में दी गयी है तो ऐसी इत्तला पाँच रूपये की विलम्ब फीस दिये जाने पर आवभयक प्रादेशिक करने के लिये, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट अधिकारी को अग्रणीत करेगा।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. एम. एम. कुट्टी, प्रमुख सचिव (योजना)

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

AND

OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR (BIRTHS AND DEATHS)

NOTIFICATION

Delhi, the 8th December, 2014

No. F. 13(1)/VS/DES/2006/9742-78.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999, namely:—

1. Short titles, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2014.

(2) The amendment in Rule 5(1) shall come into force with immediate effect.

(3) The amendment in Rule 10(1) shall come into force with effect from 1st day of January, 2015.

2. Amendment of Forms No.1, 2 and 3 under rule 5.— For Form No. 1 (Birth Report), Form No. 2 (Death Report) and Form No. 3 (Still Birth Report) under rule 5 of the Delhi Registration of Births and Deaths Rules, 1999 (hereinafter referred to as the “Principal Rules”) appended to the rules, the following shall be substituted, namely:—

L848 D9/14-2

FORM NO.2 DEATH REPORT
Legal information
This part is to be added to the Death Register

DEATH REPORT
Statistical information
This part is to be detached and sent for statistical processing

FORM No.2

4845241164

To be filled by the informant											
1.	Date of Death : (Enter the exact day, month and year the death took place e.g. 1-1-2000)										
2.	Name of the Deceased : (Full name as usually written) UID No. of deceased (if any)										
3	Sex of deceased : (Enter "Male", or "Female") (Do not use abbreviation)										
4.	Name of the Mother: UID No. of Mother (if any)										
5.	Name of the Father: UID No. of Father (if any)										
5a.	Name of husband/wife UID No. of husband/wife (if any)										
6.	Age of the deceased: (if the deceased was over 1 year of age, give age in completed years. If the deceased was below 1 year of age, give age in months and if below 1 month give age in completed number of days, and if below one day, in hours)										
7.	Address of the deceased at the time of death										
8.	Permanent Address of the deceased										
9.	Place of death : (Tick the appropriate entry), 2 or 3 below and give the name of the Hospital/Institution or the address of the house where the death took place. If other place, give location)										
10.	1. Hospital/ Institution Name & Address: 2. House Address: 3. Others										
10.	Informant's name : Address :										

(After completing all columns 1 to 21, informant will put date and signature here:)

Date Signature or left thumb mark of the informant

To be filled by the informant
Was the cause of death medically certified ?: (Tick the appropriate entry below)
1. Yes 2. No

16 Name of Disease or Actual Cause of Death : (For all deaths irrespective of whether medically certified or not)

17 In case this is a female death: did the death occur while pregnant, at the time of delivery or within 6 weeks after the end of pregnancy: (Tick the appropriate entry below)

1. Yes 2. No

18. If used to habitually smoke- for how many years ?

19. If used to habitually chew tobacco in any form for how many years ?

20. If used to habitually chew arecanut in any form (including pan masala)- for how many years ?

21. If used to habitually drink alcohol- for how many years ?

(Columns to be filled are over. Now put signature at left)

To be filled by the Registrar		To be filled by the Registrar		
Registration No.:	Registration Date:	Name	Code No.	Registration No. : Registration Date :
Registration Unit :	District :	District:		Date of Death :
Town/Village :		Tahsil:		Sex : 1. Male 2. Female
Remarks : (if any)	Name and Signature of the Registrar	Town/Village:		Age: year/months/days/hours
		Registration Unit :		Place of Death : 1. Hospital/Institution 2. House 3. Other Place
				Name and Signature of the Registrar

PART IV]

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

FORM No. 2
(See Rule 5)

DEATH REPORT FORM

3. Amendment in rule 10.- In the "Principal Rules" for sub-rule (1) of rule 10, the following shall be substituted, namely :—

"10. Period for addition of name in the register.- (1) Where the birth of any child had been registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within twelve months from the date of registration of the birth of child, give information regarding the name of child to the Registrar either orally or in writing :

Provided that if the information is given after the aforesaid period of twelve months but within a period of twenty years, which shall be reckoned—

- (i) In case where the registration had been made prior to the 1st day of January, 2000; **further five years period with effect from the 1st day of January, 2015 shall be given. In respect of those cases, where 15 years period from the date of registration has not yet been completed, they shall be allowed to avail the 15 years period, or**
- (ii) In case where the registration is made after the date of commencement of the Delhi Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules 2014 **the period of 15 years from the date of such registration, subject to the provisions of sub-section (4) of section 23, the Registrar shall—**
 - a. if the register is in Registrar's possession forthwith enter the name in the relevant column of the concerned form in the birth register on payment of a late fee of rupees five,
 - b. if the register is not in Registrar's possession and if the information is given orally, make a report giving necessary particulars, and if the information is given in writing, forward the same to the officer specified by the State Government in this behalf for making the necessary entry on payment of a late fee of rupees five."

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

Dr. M.M. KUTTY, Pr. Secy. (Plg.)